फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– **अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 61/सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.07.2019	यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी देवाराम पुत्र हजारीराम द्वारा केम्प कोर्ट सालासर में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम ग्राम खुड़ी की जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता खंख्या 124 में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है प्रार्थी की जाति जांगिड़ है लेकिन जमाबंदी बनाते समय जाति जांगिड़ के स्थान पर जाट दर्ज हो गया अतः जाति दुरुस्त करने का आदेश फरमाये। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का खुड़ी, भु अभिलेख नि. खुड़ी वह उप तहसीलदार सालासर ने प्रार्थी की जाति जाट के स्थान पर जांगिड़ दुरूस्त करने कि अनुशंषा की पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक खुड़ी की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में पुराना खाता संख्या 120 नया खाता संख्या 124 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः–	

क्र. सं.	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	खुड़ी	**431 599 878/622**	**देवाराम पुत्र हजारीराम हिस्सा 1/3 जाति जाट निवासी खारियाकनिराम खातेदार**	**देवाराम पुत्र हजारीराम हिस्सा 1/3 जाति जांगिड़ निवासी खारियाकनिराम खातेदार**

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में भुगर होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट सालासर में सुनाया गया।

23.7.19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ